

हाईवे चैनल

□ वर्ष - 29 □ अंक - 193 □ रायपुर, बुधवार 5 अगस्त 2026 □ पृष्ठ - 8 □ मूल्य - 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

ब्रेकिंग न्यूज

अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, तीन कांवड़ियों की मौत

नई दिल्ली, 5 अगस्त (न्यूज चैनल)। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे में तीन कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव कलछीना के पास बुधवार सुबह करीब पांच बजे हुई, जब एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार तीनों शिव भक्त गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्होंने बाद में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार, तीनों कांवड़िये हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले थे और हरिद्वार की ओर कांवड़ यात्रा पर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर गिर गए और गंभीर चोटें आईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतकों की पहचान ज्ञानप्रकाश, राजकुमार और प्रदीप के रूप में की। तीनों युवक एक ही गांव के निवासी बताए जा रहे हैं।

करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत

बिलासपुर, 5 अगस्त (हाईवे चैनल)। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र रिंग रोड नंबर-2 अंतर्गत स्वर्ण जयंती नगर में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसे में दो मजदूरों की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार निर्माणधीन मकान की छत पर काम के दौरान दोनों युवक ऊपर से गिर गये 11 केवी हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गए, घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम करीब 4 बजे कस्तूरबा नगर स्थित अनुप सिंह के निर्माणधीन मकान में छत पर काम चल रहा था। इसी दौरान वहां मजदूरी कर रहे दो युवक अचानक मकान के बेहद करीब कर गये गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आ गए, तेज करंट लगते ही दोनों गंभीर रूप से झुलस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।



बिरादरी की बातें

चूहा- सुनती हो, अरविंद केजरीवाल ई-20 के विरोध में कल सड़कों पर धरना दे रहे थे। चुहिया- हां जी, आखिर अब क्या करे? शीशमहल भी तो आखिर सड़कों के बंदौलत मिला था।

बृजमोहन अग्रवाल-अमित कटारिया विवाद

उप मुख्यमंत्री ने लिया सांसद का पक्ष

कहा- अधिकारी सम्मान से करें बात

रायपुर, 5 अगस्त (हाईवे चैनल)। सांसद बृजमोहन अग्रवाल और आईएसएस अमित कटारिया के बीच हुआ विवाद तुल्य पकड़ चुका है। मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सांसद का पक्ष लेते हुए कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि का अपना एक महत्व है। प्रशासनिक अधिकारी सम्मान से जनप्रतिनिधि से बात करें। बातों को सुने, उस हिसाब से रिसपांस करें। ये उनका दायित्व है। ये आवश्यक है, और ये करना चाहिए।



उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 3 साल से जमे कर्मचारियों के तबादले पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश पर मीडिया से चर्चा में कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के पहले से ही निर्देश हैं। जहां स्पेसिफिक कंफ्लेन आएगी, वहां निश्चित ही संज्ञान लिखा जाएगा। इस पर कांग्रेस के बयान पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस कांग्रेस में तबादला उद्योग चला है। वो ऐसे बातों ना करे तो अच्छा है। प्रशासनिक

बघेल जी पंजाब गए, वहां भी हो रही लड़ाई

पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ लगे गो बैक के नारों पर अरुण साव ने कहा कि बघेल जी पंजाब गए, वहां भी लड़ाई हो रही है। यहां भी कांग्रेसी आपस में लड़ ही रहे हैं। ये लड़ने में ही मशरूफ हैं।

महिला के साथ चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, चार आरोपी गिरफ्तार

सूरजपुर, 5 अगस्त (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक दर्दनाक और सिहरन पैदा करने वाली घटना सामने आई है। कोरिया जिले की रहने वाली एक महिला अपने रिश्तेदार के घर आई हुई थी। वापस घर लौटने के दौरान उसकी बस छूट गई। वह सड़क किनारे दूसरे वाहन का इंतजार कर रही थी। तभी चार युवकों ने उसे अकेला पाकर निशाना बनाया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता किसी तरह वहां से निकलने में सफल रही। वह कोरिया जिले पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गई। चूंकि घटना सूरजपुर के चांदनी थाना क्षेत्र की थी, इसलिए प्रकरण सूरजपुर पुलिस को



ट्रांसफर कर दिया गया। शिकायत मिलते ही चांदनी थाना पुलिस ने जांच शुरू की। चारों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

सूरजपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार देवांगन ने बताया, पीड़िता की शिकायत

और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई की गई। सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जांच जारी है और कानूनी प्रक्रियाएं नियम के मुताबिक पूरी की जा रही हैं। यह घटना महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। आगे की जांच चल रही है।

गडकरी के खिलाफ ऑनलाइन पोस्ट पर बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, आपतिजनक कमेंट हटाने का आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त (न्यूज चैनल)। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ ऑनलाइन पोस्ट को लेकर बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ की गई ऑनलाइन पोस्ट घिनौने, अश्लील,



अपमानजनक और मानहानि करने वाले हैं। कोर्ट ने ऐसे सभी पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। दरअसल, ई20 फ्यूल को लेकर चल रहे विवाद के बीच कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। बेंच ने मेटा, डू कॉर्प और गूगल एलएलसी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यह भी

पूछा, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, जो ऐसे मामलों को तुरंत पकड़ सके? अगर कोई अश्लील या अपमानजनक चीज पोस्ट करता है, तो उसे तुरंत पकड़कर हटा दिया जाना चाहिए। यह बहुत ही घिनौनी बात है।

रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश नाकाम: पाकिस्तानी आकाओं को भेजते थे ट्रैक के फुटेज, आईएसआई के दो माॅड्यूल का पर्दाफाश

नई दिल्ली, 5 अगस्त (न्यूज चैनल)। स्वतंत्रता दिवस से पहले रेलवे ट्रैक को निशाना बनाकर बड़ी आतंकी वारदात की साजिश को अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने विफल कर दिया है। पुलिस ने आईएसआई समर्थित दो सीमा पार आतंकी माॅड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें चार नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से तीन अवैध पिस्तौल, नौ जिंदा कारतूस, चार पेट्रोल बम और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह

भुधर ने बताया कि आरोपी विदेश में बैठे आईएसआई हैंडलरों के संपर्क में थे। उनके निर्देश पर सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रेकी की जा रही थी। स्थानीय युवाओं की भर्ती और अवैध हथियारों की आपूर्ति भी साजिश का हिस्सा थी। रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए गए थे। इनकी फुटेज पाकिस्तान भेजी जा रही थी। इसका उद्देश्य ट्रेनों की आवाजही और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखना था। जांच में सामने आया कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के अंतिम आदेश का इंतजार कर रहे थे।

सूचना के अधिकार पर हाईकोर्ट का अहम फैसला, कहा- सार्वजनिक हित के बिना नहीं दी जा सकती किसी की व्यक्तिगत जानकारी

बिलासपुर, 5 अगस्त (हाईवे चैनल)। सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच ने कहा, कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन आवेदन, जन्मतिथि, पहचान पत्र या निजी दस्तावेज आरटीआई के तहत किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती, जब तक इसमें कोई बड़ा जनहित न जुड़ हो। इस आधार पर कोर्ट ने दो याचिकाओं को खारिज कर दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा, कि आरटीआई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन बनाना है, लेकिन धारा 8 (1) (जे) के तहत व्यक्तिगत निजता की रक्षा का भी स्पष्ट प्रावधान है। दरअसल, ऑबिकापुर



निवासी डीके सोनी ने हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई थीं, पहली याचिका में सूरजपुर जिले के अपर कलेक्टर व विशेष विवाह अधिकारी के समक्ष कपिल देव पैकरा और लवकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत विवाह पंजीयन आवेदनों, संलग्न दस्तावेजों, आदेश और इशतहार की प्रमाणित प्रतियां आरटीआई के तहत मांगी थीं। जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी, सूरजपुर ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया था कि मामला विचाराधीन न्यायिक प्रक्रिया

का हिस्सा है और आवेदक थर्ड पार्टी है, इसलिए नियमों के तहत यह जानकारी नहीं दी जा सकती। फिर मामला राज्य सूचना आयोग रायपुर पहुंचा। आयोग ने 10 अक्टूबर 2019 को द्वितीय अपील खारिज करते हुए जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के फैसले को सही ठहराया था। इसके खिलाफ सोनी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई।

मामले में सभी पक्षों को सुनने के दौरान बाद कहा, विवाह पंजीयन के लिए दिए गए आवेदन में नाम, पता, फोटो, जन्मतिथि और पहचान पत्र जैसे गोपनीय डेटा होते हैं। यदि याचिकाकर्ता कोई व्यापक जनहित जैसे भ्रष्टाचार उजागर करना या पद का दुरुपयोग साबित नहीं करता, तो ऐसी जानकारी देना व्यक्ति की निजता पर अनावश्यक हमला होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

लबालब होने के करीब गंगरेल बांध, 80% हुआ जल भराव



धमतरी, 5 अगस्त (हाईवे चैनल)। गंगरेल बांध प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा बांधा है। यह प्रयतन, मत्स्य, कृषि व उद्योग के लिए काफी अहम है। उक्त बांध की स्थिति में काफी सुधार हुआ है अब बांध लबालब होने के करीब है।

बता दे कि गंगरेल बांध की जल भराव क्षमता 32.150 टीएमसी है। वर्तमान में बांध में कुल 26.655 टीएमसी जल भराव हो चुका है। जिसमें उपयोगी पानी 21.584 टीएमसी है। इस प्रकार बांध में लगभग 80 प्रतिशत उपयोगी पानी का जल भराव हो चुका है। बता दे कि कुछ दिन पूर्व बांध के कैचमेंट



32.150 टीएमसी क्षमता वाले गंगरेल बांध में हुआ 26.655 टीएमसी जल भराव
कृषि धमने से आवक लगातार हो रही कम, 94500 क्यूसेक आवक से घट कर हुई 2643 प्रति सेकेंड

एरिया में हुई अच्छी बारिश से बांध में अब तक अधिकतम आवक 94500 क्यूसेक तक रही। इसके बाद आवक बारिश थमते ही घटती गई। वर्तमान में आवक 2643 क्यूसेक प्रति सेकेंड हो रही है।

सुरमसिल्ली, दुधावा व सोंदुर बांध भी छलकने के कगार पर
बता दे कि जिले के अन्य बांधों की स्थिति भी वर्तमान में अच्छी है। सुरमसिल्ली बांध की क्षमता 5.839 टीएमसी की है। वर्तमान में 5.113 टीएमसी जल भराव है। जिसमें

4.992 टीएमसी उपयोगी पानी है। इस प्रकार बांध में 87 प्रतिशत जल भराव है। दुधावा बांध की कुल जल संग्रहण क्षमता 10.192 टीएमसी है। वर्तमान में बांध में 9.061 टीएमसी जल भराव है। जिसमें उपयोगी जल भराव 8.901 टीएमसी है। इस प्रकार 83 प्रतिशत से अधिक बांध में 88 प्रतिशत जल भराव है। वहीं सोंदुर बांध की क्षमता 6.995 टीएमसी की है। वर्तमान में 5.961 टीएमसी जल भराव है। उपयोगी जल भराव 5.308 टीएमसी है। इस प्रकार 83 प्रतिशत से अधिक बांध में 88 प्रतिशत जल भराव है। जल भराव हो चुकी है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उक्त बांध भी लबालब होने के कगार पर है।